813

[2022] 3 एस. सी. आर. 813

ए.

सुरेश महाजन

वी.

मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 278)
10 मई, 2022

बी.

[ए. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

चुनाव कानूनः

सी.

मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 -धारा. 10 (1)-मध्य प्रदेश पंचायत राज अवम ग्राम स्वराज प्रशासन, 1993-एस. एस.12, 23 और 30-मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 -धारा 29-बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों के संबंध में चुनाव न कराने से संबंधित मुद्दा-राज्य तीन परीक्षण औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सका-इसके अलावा, राज्य परिसीमन या वार्डों के गठन की गतिविधियों का संचालन कर रहा है, इस प्रकार चुनाव नहीं हो सके-आयोजितःसंबंधित राज्य विधान के प्रावधानों सहित अनुच्छेद 243-ई और 243-यू में संवैधानिक जनादेश के कारण संबंधित स्थानीय स्वशासन में नवनिर्वाचित निकाय की स्थापना के लिए चुनाव कराने में देरी नहीं हो सकती-देरी की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब उस स्थानीय निकाय का कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी स्थानीय निकाय को भंग करने की आवश्यकता हो-इस प्रकार, सभी संबंधित यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि प्रत्येक स्थानीय निकाय में नवनिर्वाचित निकाय की स्थापना निवर्तमान निर्वाचित निकाय के 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले हो और राज्य द्वारा प्रशासक की नियुक्ति के मामले में, शासन 6 महीने से अधिक जारी नहीं रह सकता है-यह संवैधानिक जनादेश अलंघनीय है-संबंधित अधिनियमों में संशोधन जो राज्य सरकार को वार्डों की संख्या और विस्तार निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

813 ए.

814 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

जैसे ही और जब चुनाव देय होते हैं और ट्रिपल टेस्ट के अनुपालन की प्रतीक्षा किए बिना कार्यक्रम-जब तक ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं हो जाती है, तब तक अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है-यदि चुनाव कार्यक्रम जारी होने से पहले ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं होती है, तो एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर, सामान्य श्रेणी के लिए अधिसूचित किया जाए-जब भी परिसीमन अभ्यास या ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी हो जाती है, उसके बाद आयोजित किए जाने वाले चुनावों को इस तरह की व्यवस्था का पालन करना पड़ सकता है।

बी.

विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2021) 6** एस**.** सी**.** सी**. 73;** किशनसिंह तोमर बनाम अहमदाबाद शहर का नगर निगम और अन्य। **(2006) 8** एससीसी **352:**

सी.

[2006] 7 पूरक।एस. सी. आर. 454; के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और

ओआरएस**.** वी**.**भारत संघ और ए**.** एन**.** आर**. (2010) 7** एससीसी **202:[2010] 6** एस**.** सी**.** आर**. 972-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

डी.

(2021) 6 एससीसी **73**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

[2006] 7 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454** पैरा **6 [2010] 6** एस**.** सी**.** आर**. 972** को संदर्भित करता है।

ई.

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 278।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

एफ.

गौतम अवस्थी, आयुष चौधरी, देवांशु यादव, समीर पांडे, वरुण ठाकुर, ब्रजेश पांडे, अनिलेंद्र के. पांडे, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सौरभ मिश्रा, डी. एस. परमार, भरत सिंह, ए. ए. जी., पी. एस. पटवालिया, सीनियर एड., हरमीत सिंह रूपरा, मनीष यादव, सुश्री इंदिरा भाकर, मृणाल गोपाल एल्कर, शरत नाम्बियारा, विनायक शर्मा, सिद्धार्थ सेठ, कार्तिक सेठ के मेसर्स चैंबर्स, निखिल जैन, एड.प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

जी.

एच.

815

सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह रिट याचिका मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 10 (1), मध्य प्रदेश पंचायत राज अवम ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12,23 और 30 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 की वैधता को मनमाना और राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों और स्वतंत्रता को हड़पने के रूप में बताती है।

बी.

2. उल्लिखित संशोधनों द्वारा, राज्य सरकार को संबंधित स्थानीय निकायों में गठित किए जाने वाले वार्डों की संख्या और विस्तार निर्धारित करने के लिए समय-समय पर अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।2021 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 19756 में पारित हमारे आदेश दिनांक 04.05.2022 और संबंधित मामलों में उल्लिखित प्रासंगिक अधिनियमों के संशोधन के बाद, महाराष्ट्र राज्य में प्रदान की गई व्यवस्था में कमोबेश इसी तरह की स्थिति प्राप्त होती है।

सी.

डी.

3. वर्तमान रिट याचिका में जिन आधारों का आग्रह किया गया है, वे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित उपरोक्त मामलों में उठाए गए और शामिल मुद्दों के समान हैं।इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से पहले ही नोट किया है कि पक्षों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की गहन जांच आवश्यक होगी और इसलिए, मामलों को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करने का आदेश दिया गया है।यह उचित है कि इस मामले की सुनवाई भी मामलों के उक्त समूह के साथ की जाए।हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

ई.

4. मध्य प्रदेश राज्य में बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों के संबंध में चुनाव न कराने के मुद्दे पर लौटते हुए, वह भी अलग नहीं है।वास्तव में, इस राज्य में यह संख्या काफी चौंका देने वाली है।मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत को सौंपा गया चार्ट इंगित करता है कि लगभग 321 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जहाँ 2019-2020 से चुनाव नहीं हुए हैं।इसके अलावा, जमीनी स्तर पर स्थानीय निकाय (ग्रामीण स्थानीय निकाय) जहां चुनाव उसी तरह से नहीं हुए हैं, वे अब तक लगभग 23,073 हैं।

एफ.

जी.

5. चुनाव उसी कारण से आयोजित नहीं किए गए हैं जैसा कि महाराष्ट्र राज्य के मामले में हुआ है, अर्थात् राज्य अभी भी ट्रिपल टेस्ट औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है जैसा कि निर्णय में बताया गया है।

विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य 1.

1 (2021) 6 एससीसी 73

एच.

ए.

जिसके परिणामस्वरूप, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है।यह इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 03.03.2022 सहित क्रमिक आदेशों द्वारा दिए गए आकस्मिक निर्देशों के बावजूद हुआ है। इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संबंधित स्थानीय स्वशासन में नवनिर्वाचित

निकाय की स्थापना के लिए चुनाव कराने में देरी नहीं हो सकती क्योंकि अनुच्छेद 243-ई और 243-यू में संबंधित राज्य विधान के प्रावधानों सहित संवैधानिक जनादेश का खुलासा किया गया है।6. कुछ हद तक विराम की स्थिति होती है और इसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब उस स्थानीय निकाय की अवधि समाप्त होने से पहले किसी स्थानीय निकाय को भंग करने की आवश्यकता होती है।अन्यथा, स्थानीय स्वशासन की अवधि को अनुच्छेद 243-ई के साथ-साथ अनुच्छेद 243-यू में अपनी पहली बैठक से 5 (पाँच) वर्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, "और अब नहीं"। इसे इस न्यायालय की संविधान पीठ ने किशनसिंह तोमर बनाम नगरपालिका मामले में दोहराया है।

बी.

सी.

अहमदाबाद शहर का निगम और अन्य। 2.

7. इस प्रकार, सभी संबंधित यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि निवर्तमान निर्वाचित निकाय का 5 (पाँच) वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रत्येक स्थानीय निकाय में नवनिर्वाचित निकाय स्थापित किया जाए।यहां तक कि पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले विघटन के मामले में, जहां राज्य द्वारा एक प्रशासक की नियुक्ति की आवश्यकता होती है, उस शासन को संबंधित राज्य विधानों में प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर 6 (छह) महीने से आगे जारी नहीं रखा जा सकता है।

डी.

ई.

8. यह संवैधानिक जनादेश अलंघनीय है।न तो राज्य चुनाव आयोग और न ही राज्य सरकार या उस मामले के लिए राज्य विधानमंडल, जिसमें यह न्यायालय भी शामिल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके विपरीत व्यवस्था को स्वीकार कर सकता है।

एफ.

9. इस तरह के संवैधानिक जनादेश के बावजूद, मध्य प्रदेश राज्य में अब तक की वास्तविकता यह है कि 23,263 से अधिक स्थानीय निकाय पिछले दो वर्षों या उससे अधिक समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना काम कर रहे हैं।यह कानून के शासन के टूटने और इससे भी अधिक, ऐसी स्थानीय स्वशासन के अस्तित्व और कार्यप्रणाली के लिए संवैधानिक जनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जी.

2 (2006) 8 एस. सी. सी. 352

(पैरा 12 से 14 और 22 से 28, विशेष रूप से)

एच.

817

सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

10. यह तथ्य कि राज्य विधानमंडल ने राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में गठित किए जाने वाले वार्डों की संख्या और विस्तार निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत करने वाले संबंधित अधिनियमों में संशोधन किए हैं, संविधान और उस संबंध में विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित नहीं करने के लिए एक ठोस या वैध आधार नहीं हो सकता है।

बी.

11. किसी भी मामले में, परिसीमन या वार्ड के गठन की चल रही गतिविधि किसी भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकती है-राज्य चुनाव आयोग से बहुत कम-उचित समय पर चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करना और यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचित निकाय निवर्तमान निर्वाचित निकाय के 5 (पांच) वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले स्थापित किया गया है।यदि परिसीमन की आवश्यकता है-जो वास्तव में संबंधित प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली एक निरंतर कवायद है-तो यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से पहले से शुरू किया जाना चाहिए कि संबंधित स्थानीय निकाय के चुनावों को समय पर अधिसूचित किया जाए ताकि निर्वाचित निकाय बिना किसी व्यवधान और शासन की निरंतरता के अपने प्रशासन के शासन को संभाल सके (जिससे लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार के सिद्धांत को बनाए रखा जा सके)।दूसरे शब्दों में, कथित अधिनियमों में किए गए संशोधन को संबंधित स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एक वैध आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।12. इसलिए, हम राज्य चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश के माध्यम से निर्देश देते हैं कि वह संबंधित स्थानीय निकायों में किए गए परिसीमन के अनुसार वार्डों के आधार पर बिना किसी और देरी के चुनाव कार्यक्रम जारी करे, जब चुनाव निवर्तमान निर्वाचित निकाय के 5 (पांच) वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप या विवादित संशोधन अधिनियम (ओं) के लागू होने से पहले, जो भी बाद में हो।उस काल्पनिक आधार पर, राज्य चुनाव आयोग को संबंधित स्थानीय निकायों के संबंध में बिना किसी अपवाद के आगे बढ़ना चाहिए, जहां चुनाव होने हैं या निकट भविष्य में होने की संभावना है, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट के अनुपालन की प्रतीक्षा किए बिना।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि केवल इस तरह का निर्देश न्याय के उद्देश्यों और संवैधानिक जनादेश के अनुरूप व्यापक सार्वजनिक हितों को पूरा करेगा कि स्थानीय स्वशासन को विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्बाध रूप से शासित

किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि अनुमति के आधार पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग कर दिया जाए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

13. क्योंकि, जब तक राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता "हर तरह से" पूरी नहीं हो जाती है, तब तक अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है; और यदि राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी करने से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है, तो सीटें (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित, जो एक संवैधानिक आवश्यकता है, को छोड़कर), बाकी सीटों को सामान्य श्रेणी के लिए अधिसूचित किया जाना चाहिए।

बी.

14. यह आग्रह किया गया कि कुछ स्थानीय निकायों में ओ. बी. सी. की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है और इस कारण से आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इंगित प्रतिशत एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।यह संवैधानिक जनादेश की अवहेलना करने का आधार नहीं हो सकता है और इस न्यायालय द्वारा इंगित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।जो राजनीतिक दल स्थानीय निकायों के शासन में ओ. बी. सी. की भागीदारी का नायक होने का दावा करते हैं, वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं और यहां तक कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बाद उपलब्ध सभी सामान्य सीटों के खिलाफ भी।हम विचाराधीन याचिका पर आगे विस्तार नहीं करना चाहते हैं।

सी.

डी.

15. हम एक बार फिर दोहराते हैं कि परिसीमन कार्य और/या तीन बार परीक्षण अनुपालन की प्रक्रिया एक निरंतर, जटिल, समय लेने वाली और बिना किसी समय सीमा के (सीधे निवर्तमान निर्वाचित निकाय के कार्यकाल की समाप्ति से जुड़ी) है।जबकि, निवर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधि, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, से बागडोर संभालने के लिए नवनिर्वाचित निकाय की स्थापना के लिए चुनाव का संचालन स्पष्ट रूप से संविधान और प्रासंगिक अधिनियमों द्वारा प्रदान किया गया है।इसलिए, पहले वाले को स्थानीय निकायों के संबंध में राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम के मुद्दे को रोकने की आवश्यकता नहीं है, जब यह बहुत कम अतिदेय हो जाता है, जिसमें निकट भविष्य में इसके देय होने की संभावना भी शामिल है।

ई.

एफ.

16. यह ध्यान दिया जाए कि जब भी परिसीमन अभ्यास या ट्रिपल टेस्ट औपचारिकता, जैसा भी मामला हो, पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आयोजित चुनावों को इस तरह की व्यवस्था का पालन करना पड़ सकता है।

जी.

17. यदि राज्य अधिकारियों द्वारा सेवा में लगाए गए आधारों को स्वीकार किया जाता है, तो किसी भी चुनाव आयोग के लिए-चाहे वह मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग हो-चुनाव कार्यक्रम को समय पर अधिसूचित करना और यह सुनिश्चित करना कि नवनिर्वाचित निकाय की स्थापना निवर्तमान निर्वाचित निकाय के 5 (पांच) वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले की जाए, असंभव होगा।

एच.

819

सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

ए.

यह संवैधानिक जनादेश को पराजित करेगा और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत के खिलाफ जाएगा।

18. इसे अलग तरह से रखने के लिए, परिसीमन अभ्यास को पूरा करना या चाहे वह ट्रिपल टेस्ट औपचारिकता हो, अगर निवर्तमान निर्वाचित निकाय के पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले अच्छी तरह से पूरा नहीं किया जाता है, तो प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिसमें चुनाव आयोग को पर्याप्त समय देना शामिल है।अतः चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में देरी नहीं की जा सकती है।क्योंकि, इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से

निवर्तमान निर्वाचित निकाय के 5 (पाँच) वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर विराम की स्थिति पैदा होगी।इस तरह की संभावना से सभी शुल्क धारकों को बचना चाहिए।एक प्राथमिकता के रूप में, यह न केवल राज्य चुनाव आयोग का बल्कि संवैधानिक न्यायालयों सहित राज्य सरकार का भी संवैधानिक दायित्व है।

बी.

सी.

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को काल्पनिक आधार पर आगे बढ़ने और संबंधित स्थानीय निकाय के संबंध में परिसीमन/वार्डों के गठन की गणना करके चुनाव कार्यक्रम जारी करने का निर्देश देने में कोई संकोच नहीं है, जिस तारीख को संबंधित स्थानीय निकाय का चुनाव "वास्तव में" देय हो गया था या (विवादित) संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले, जो वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती है, जो भी बाद में हो।

डी.

ई.

20. राज्य चुनाव आयोग को आज से दो सप्ताह के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए।राज्य सरकार इस आदेश के संदर्भ में कार्य को पूरा करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को पर्याप्त रसद सहायता प्रदान करेगी।

एफ.

21. तर्क के दौरान, हमारा ध्यान राज्य सरकार द्वारा गठित पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई पहली रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया, जो इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार ट्रिपल टेस्ट दायित्व की दिशा में पहला कदम है।हालाँकि, हम उक्त रिपोर्ट की जाँच करने या वर्तमान कार्यवाही में उस पर टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखते हैं।

जी.

22. यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि उक्त आयोग द्वारा केवल पहली रिपोर्ट तैयार करने को ट्रिपल परीक्षण आवश्यकता का पूर्ण अनुपालन नहीं माना जा सकता है।एक मायने में, यह एक अनुचित स्थिति है और राज्य सरकार द्वारा ओ. बी. सी. श्रेणी के स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण का निर्दिष्ट केवल प्रतिशत प्रदान करने की अंतिम घोषणा की दिशा में केवल एक कदम है।

एच.

23. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, हमें यह समझाने के लिए दुखी थे कि राज्य द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिनांक आई. डी. 1 तैयार की गई पहली रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार अब कार्रवाई में आगे बढ़ेगी और संबंधित स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को अधिसूचित करने के लिए शेष कदम उठाएगी।प्रथम दृष्टया, विकास किशनराव गवली (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले की भावना के अनुसार, उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त आयोग (समर्पित) द्वारा उस अभ्यास को भी करने की आवश्यकता है।जैसा कि हमें प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ने उस अभ्यास में खुद को शामिल नहीं किया है जो उसे स्थानीय निकाय के अनुसार करना चाहिए था।अतः वर्तमान प्रारूप में इस रिपोर्ट का कोई लाभ नहीं होगा।24. दूसरे शब्दों में, अनुभवजन्य आंकड़ों के मिलान का अभ्यास और उनके विश्लेषण के बाद, आयोग से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए "स्थानीय निकाय के अनुसार" आरक्षित सीटों की संख्या के बारे में सिफारिश करने की उम्मीद है।जाहिरा तौर पर यह कवायद आयोग द्वारा नहीं की गई है।राज्य सरकार इसके बाद ही आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्य कर सकती है-जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक स्वतंत्र निकाय है कि "संबंधित स्थानीय निकाय" में इस तरह के आरक्षण का अधिक विस्तार न हो।

बी.

सी.

डी.

25. सभी संबंधितों द्वारा यह ध्यान दिया जाए कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आरक्षण की प्रकृति और उद्देश्य उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के लिए आरक्षण से स्पष्ट रूप से अलग है, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ 3 द्वारा समझाया गया है।

ई.

26. जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य चुनाव आयोग को और इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्थानीय स्वशासन के संबंध में बिना किसी और देरी के चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करेगा, जिसका चुनाव (चुनाव) देय हो गया था; और वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मध्य प्रदेश राज्य में 23,263 स्थानीय निकायों के संबंध में अभी तक अतिदेय है।

एफ.

27. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार करना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा और वास्तव में इस न्यायालय द्वारा राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों के संबंध में चुनाव

प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिए गए क्रमिक निर्देशों के उल्लंघन का मामला होगा, जहां चुनाव देय/अतिदेय हैं और अन्य पिछड़े वर्गों (लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण तक सीमित) के लिए आरक्षण प्रदान किए बिना आगे बढ़ना जब तक कि

जी.

3 के. कृष्ण मूर्ति (डॉ.) और अन्य बनामभारत संघ और अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 202 [पैरा 82 (आई)] ए

एच.

821

सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

राज्य द्वारा "सभी मामलों में" ट्रिपल परीक्षण औपचारिकता को पूरा करना।जैसे-जैसे ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं पूरी होती हैं, उनकी गणना भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए की जा सकती है।हालाँकि, संवैधानिक जनादेश को देखते हुए पहले से ही होने वाले चुनावों में देरी की आवश्यकता नहीं है और न ही की जा सकती है।

28. मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने हमें दलीलों के दौरान यह भी बताया कि उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ रिट याचिकाएं लंबित हैं जिनमें अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं और जो चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के रास्ते में आ सकते हैं।इस संबंध में, हम यह स्पष्ट करते हैं और यह भी निर्देश देते हैं कि राज्य चुनाव आयोग को इस आदेश के निर्देशों और टिप्पणियों का पालन करना चाहिए, जो संबंधित स्थानीय स्वशासन के चुनावों के विषय पर उच्च न्यायालय या दीवानी न्यायालय के किसी भी आदेश से अप्रभावित हों।यदि मध्य प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय द्वारा इसके बाद पारित या पारित किया जाने वाला कोई आदेश इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत है, तो उसे इस आदेश के संदर्भ में निरस्त माना जाएगा और इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बी.

सी.

डी.

29. जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा अनुरोध किया गया है, हम रिकॉर्ड पर रखते हैं कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए सभी कदम और हम यहां तक कि

राज्य सरकार को भी जोड़ सकते हैं, इस आदेश के संदर्भ में दिए गए निर्देशों के आधार पर इन कार्यवाही के परिणाम के अधीन होगा।

ई.

30. हम एक बार फिर यह स्पष्ट करते हैं कि यदि राज्य सरकार द्वारा 2022 के संशोधन अधिनियम (ओं) के संदर्भ में परिसीमन नहीं किया जाता है या ओ. बी. सी. श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने के लिए "हर तरह से" ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो राज्य चुनाव आयोग इस आदेश को स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों के संबंध में भी लागू करेगा, जो समय के प्रवाह के कारण होने वाले थे।

एफ.

31. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश और दिए गए निर्देश मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग/मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग/महाराष्ट्र राज्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित चुनाव आयोग को संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने में विफल रहे बिना इसका पालन करने के लिए कहा गया है।

जी.

एच.

32. इस मामले को 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 19756 के साथ सुनवाई के लिए 12.07.2022 पर सूचीबद्ध करें।

33. मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग नियत समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा।

34. किसी भी कठिनाई के मामले में, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को वापसी की तारीख से पहले आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित स्थानीय निकाय के संबंध में चुनाव कार्यक्रम को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाया जाए।

बी.

निधि जैन

निर्देश जारी किए गए।

सी.

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.